

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:प.4(78)कृषि/ग्रुप-2/2002 पार्ट

16 OCT 2013

जयपुर, दिनांक:

16 OCT 2013

आदेश

R.G.K.S.Y.

8
16.10.13

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना-2009 के दिशा-निर्देश 2013-14 में कृषि/कृषि विपणन कार्यों की परिस्थितियों का विनिश्चयन का वर्तमान सक्षम स्तर राज्य सरकार को है। इस प्रावधान में सक्षम स्तर राज्य सरकार के स्थान पर अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, कृषि को अधिकार होगा।

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना-2009 में दुर्घटना के 09 माह पश्चात् समय सीमा में शिथिलता का अधिकार राज्य सरकार को है। इस प्रावधान में सक्षम स्तर राज्य सरकार के स्थान पर अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, कृषि को अधिकार होगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

ED

(लालचन्द गुर्जर)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन-सचिवालय, जयपुर।
4. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. निदेशक कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
7. क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड-समस्त।
8. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव 16/10

राजस्थान सरकार

कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक: प.1(158)निकृषि/रागांकृसासयों/ 39417-579

दिनांक: 28-10-13

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड-समस्त।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।
3. उप निदेशक (सांख्यिकी), कृषि विपणन विभाग, जयपुर।

4. कम्प्यूटर शाखा, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को लेख है कि उपरोक्त नवीन शामिल बिन्दुओं को वेबसाइट पर अपलोड करावें।

(करण सिंह)

संयुक्त निदेशक-II

कृषि विपणन